संख्या- 1230 /एक-10-2024

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, कुशीनगर, शाहजहांपुर, बाराबंकी, सीतापुर, गोण्डा, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलिया, गोरखपुर, बरेली, आजमगढ़, हरदोई, अयोध्या, बदायूं, फर्रुखाबाद, बस्ती, देवरिया ,उन्नाव, महराजगंज, बिजनौर, गाजीपुर, मऊ, अम्बेडकरनगर, श्रावस्ती, संतकबीरनगर, पीलीभीत, सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, हमीरपुर,गौतमबुद्धनगर, रामपुर, प्रयागराज, बुलंदशहर, मुरादाबाद, वाराणसी, लखनऊ एवं कासंगज।

राजस्व अनुभाग 10- लखनऊः दिनांकः 20 जुलाई, 2024

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2024-25 में बाढ़ से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों /परिवारों को राहत सहायता, कृषि निवेश अनुदान व अन्य राहत कार्यो हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बाढ़ से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता, कृषि निवेश अनुदान व अन्य राहत कार्यो हेतु कुल रू0 1,20,00,00,000/- **(रूपये एक अरब बीस करोड़ मात्र)** की धनराशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि के बाढ़ मद-02 से निम्नलिखित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-3 में अंकित धनराशि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

क्रमांक	जनपद का नाम	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रू0 करोड में)
1	लखीमपुर खीरी	5.00
2	बलरामपुर	5.00
3	कुशीनगर	5.00
4	शाहजहांपुर	5.00
5	बाराबंकी	5.00

6	सीतापुर	5.00
7	गोण्डा	5.00
8	बहराइच	5.00
9	सिद्धार्थनगर	5.00
10	बलिया	5.00
11	गोरखपुर	5.00
12	बरेली	5.00
13	आजमगढ	5.00
14	हरदोई	5.00
15	अयोध्या	5.00
16	बदायूं	5.00
17	फर्रूखाबाद	5.00
18	बस्ती	5.00
19	देवरिया	5.00
20	उन्नाव	5.00
21	महराजगंज	1.00
22	बिजनौर	1.00
23	गाजीपुर	1.00
24	मऊ	1.00
25	अम्बेडकरनगर	1.00
26	श्रावस्ती	1.00
27	संत कबीरनगर	1.00
28	पीलीभीत	1.00
29	सहारनपुर	1.00
30	शामली	1.00
31	अलीगढ	1.00
32	हमीरपुर	1.00
33	गौतमबुद्धनगर	1.00
34	रामपुर	1.00
35	प्रयागराज	1.00
36	बुलन्दशहर	1.00

37	मुरादाबाद	1.00
38	वाराणसी	1.00
39	लखनऊ	1.00
40	कासगंज	1.00
	योग	120.00
		(धनराशि रू0 एक अरब बीस करोड मात्र

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-803/10-2013-10(28)/2011, दिनांक- 10.10.2013 में निर्धारित प्रकिया के अनुसार व्यय किया जायेगा। (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त /जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है)

(2) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं O-33-03/2020-NDM-1, दिनांक 11.07.2023, में अनुमन्य राहत धनराशि सीधे पोर्टल के माधयम से लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेण्ट के माध्यम से हस्तान्तरित की जाये। इसके अतिरिक्त बाढ़ प्रबन्धन हेतु किये जा रहे समस्त बचाव एवं राहत कार्यों हेतु धनराशि जनपदीय कोषागार से सीधे सम्बन्धित के बैंक खाते में ई-पेमेण्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(3) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है , उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। टीआर-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-NDM-1, दिनांक 11.07.2023, जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रभावी है, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(6) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(7) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग

सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा जोखा- रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक 05 व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(9) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग समर्पण के संबंध में/ शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31मार्च, 2025 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(10) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण -पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग 1- के प्रस्तर369--एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(11) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला वयय रू0 1,20,00,00,000/- (रूपये एक अरब बीस करोड़ मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-वययक में अनुदान संख्या-51 के लेखा शीर्षक 2245058000602 बाढ़ से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से वयय मानक मद-42 अन्य वयय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-वययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by
Ram Kewal
Date: 20-07-2024 14:52:02
(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या- 1230(1)/एक-10-2023, तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. - महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. - सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. - राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. - आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
5. - अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ० प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उ० प्र० ।

6. - विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. - वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
8. - सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9. - वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
10. - गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-22/07/2024

प्रेषण संख्या:- 1230
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1230
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	सहारनपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 11526108	10000000 11526108
2	बुलन्दशहर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 12500000	10000000 12500000
3	अलीगढ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 11000000	10000000 11000000
4	बरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 51000000	50000000 51000000
5	बिजनौर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 13538326	10000000 13538326
6	बदायूं-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 51000000	50000000 51000000
7	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 11000000	10000000 11000000
8	शाहजहांपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 51000000	50000000 51000000
9	पीलीभीत-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 11001000	10000000 11001000
10	रामपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 11000000	10000000 11000000
11	फर्रुखाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 51000000	50000000 51000000
12	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 15000000	10000000 15000000
13	हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 12500000	10000000 12500000
14	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 12500000	10000000 12500000
15	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 15378600	10000000 15378600
16	बलिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 51000000	50000000 51000000
17	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 55000000	50000000 55000000
18	बस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 54045500	50000000 54045500
19	आजमगढ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	50000000 52500000	50000000 52500000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
		प्रगामी		
20	देवरिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 52500000	50000000 52500000
21	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 11000000	10000000 11000000
22	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 51000000	50000000 51000000
23	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 55000000	50000000 55000000
24	हरदोई-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 51000000	50000000 51000000
25	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 56971750	50000000 56971750
26	अयोध्या-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 51000000	50000000 51000000
27	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 55000000	50000000 55000000
28	बहराइच-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 55000000	50000000 55000000
29	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 53930845	50000000 53930845
30	मऊ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 11000000	10000000 11000000
31	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 55000000	50000000 55000000
32	महाराजगंज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 13477500	10000000 13477500
33	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 61000000	50000000 61000000
34	अम्बेदकर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 11147992	10000000 11147992
35	गौतमबुद्ध नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 11000000	10000000 11000000
36	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 55000000	50000000 55000000
37	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 11000000	10000000 11000000
38	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 12500000	10000000 12500000
39	कांसगंज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 11000000	10000000 11000000
40	शामली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 11000000	10000000 11000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1200000000 1309017621	1200000000 1309017621

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक अरब बीस करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक अरब तीस करोड़ नब्बे लाख सत्रह हजार छः सौ इक्कीस

SK

(संतोष कुमार)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन